झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

कृपया पढ़े :–

1. गृह विभाग का पत्रांक– 3647, दिनांक 05.09.2009
2. विभागीय पत्रांक– 1660, दिनांक 23.03.2010
3. उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, रांची का पत्रांक– 518, दिनांक 09.04.2010
4. श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, विभागीय पत्रांक– 7224 दिनांक 25.11.2010 से स्पष्टीकरण
5. श्री अवधेश कुमार पाण्डेय द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब पत्रांक– 37 दिनांक 18.01.2011
6. उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची का पत्रांक– 281, दिनांक 17.11.2011

श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, झा0प्र0से0, कोटि क्रमांक– 528/03 के विरूद्ध तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू के विरूद्ध गृह विभाग का पत्रांक– 3647 दिनांक 05.09.2009 द्वारा उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची के मना करने के बावजूद लोकसभा चुनाव, 2009 के दौरान दिनांक 12.04.2009 को पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबू लाल मरांडी के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने का आरोप प्रतिवेदित है। उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची से प्रतिवेदित आरोप के लिए जाँच कर मंतव्य मांगा गया।

उपायुक्त–सह– जिला दण्डाधिकारी, राँची द्वारा मंतव्य दिया गया कि श्री पाण्डेय की स्वेच्छाचारिता एवं गैर जिम्मेदाराना कार्यकलाप व अनुशासनहीनता के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। प्रतिवेदित आरोप के लिए श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री पाण्डेय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में सूचित किया गया है कि उपायुक्त द्वारा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने संबंधी आदेश फैक्स के माध्यम से विलम्ब से प्राप्त हुआ, तबतक श्री मरांडी सभा कर सकुशल वापस लौट चुके थे। श्री दिलीप मिश्रा, अध्यक्ष, झा0वि0 मोर्चा जिला समिति, खूँटी द्वारा याचित आवेदन के आलोक में उन्होंने हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति दी थी।

श्री पाण्डेय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसा ही आदेश उन्होने श्री प्रदीप कुमार बालमुचू के हेलीकॉप्टर उतरने के क्रम में भी दिया था। यह दोनों आदेश "खूँटी लोक सभा के सहायक निर्वाची पदाधिकारी होने के नाते उन्होंने मा0 निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्त प्रेक्षक से विमर्शोपरांत दिया गया।

श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से मंतव्य प्राप्त किया गया। उपायुक्त ने श्री पाण्डेय के स्पष्टीकरण को अस्वीकार्य प्रतिवेदित किया है।

कृ0पृ0उ0.....2,

श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री पाण्डेय, तत्का0 अनुमण्डल पदाकारी द्वारा मरांडी के हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति देकर एक बहुत बड़ी चूक की गई है। वस्तुतः निर्वाचन के दौरान हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति देने हेतु उपायुक्त–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी सक्षम होते है। अतः यह स्पष्ट है कि उनके इस कृत्य से किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती थी। इस प्रकार उपायुक्त के मना करने के बावजूद हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति देने का आरोप प्रमाणित है।

श्री पाण्डेय के विरूद्ध समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न लघु दण्ड अधिरोपित किए जाते है :–

(1) **"निन्दन"**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, झा0प्र0से0 सम्प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2/आरोप–01–22/2010 का॰–...../ राँची, दिनांक –.....सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 50 (पचास) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2/आरोप–01–22/2010 का॰–10343/ राँची, दिनांक –7.....सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची/आयुक्त, राँची/उपायुक्त, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची सम्प्रति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, धनबाद/विभागीय प्रशाखा–2 एवं 2ए (चारित्री) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/12

सरकार के उप सचिव ।